न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 35/2023

1 ताराचन्द पुत्र फुला जाति जांगिड़ निवासी ढाणी खातीयान तन बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मोहनी देवी पुत्री स्व. फुलाराम स्त्री नागरमल जाति जांगिड़ निवासी ढाणी खातीयान तन बड़ाऊ हाल निवासी तातीजा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।
2 मनोहर पुत्र फुला
3 हनुमान पुत्र फुला जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी ढाणी खातियान तन बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।
4 गुलाब देवी पुत्री फुला स्त्री रामोतार जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी ढाणी खातियान तन बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू। हाल निवासी बिलवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।
5 सरस्वती देवी पुत्री फुला स्त्री बारसीलाल जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी ढाणी खातियान तन बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू। हाल निवासी किठाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
6 झुन्झुनू सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड झुन्झुनू शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक
7 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते

प्रथम अपील अ.धारा 223 राज. काश्त. अधि. 1955
अपील खिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक
04.01.2023 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर खेतड़ी जिला झुन्झुनू मुकदमा
उनवानी मोहनी देवी बनाम ताराचन्द वगै.
मु.नं. 36/2014 दावा बाबत घोषणा,
विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजय कुमार जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 15.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 36/2014 में पारित निर्णय दिनांक 04.01.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 1978 रकबा 1.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1982 रकबा 0.93 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1983 रकबा 0.95 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2489/1985 रकबा 0.22 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम रामनगर पटवार हल्का बड़ाऊ तहत तहसील खेतड़ी में स्थित है। उक्त जमीन में अपने हिस्से के निर्धारण एवं विभाजन बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 मोहनी देवी ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र पेश किया जिस वाद पत्र को विचारण न्यायालय ने दिनांक 04.01.2023

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

को निर्णित कर प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में अपीलान्ट की जवाबदेही को नजरअंदाज किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने जवाबदेही की है कि रेस्पोडेन्ट मोहनी देवी की शादी 55 साल पूर्व हो चुकी थी तथा अब उसकी उम्र 75 साल है। मोहनी देवी का विवादित जमीन में कोई हक हिस्सा नही बनता। लेकिन विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्य पर कोई गौर नही कर विचाराधीन निर्णय पारित करने में भूल की है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया। ओदश 20 नियम 5 सीपीसी के मुताबिक निर्णय तनकीवार विस्तृत रूप से तथा तर्क एवं निष्कर्ष सहित पारित करेगा। विचारण न्यायालय ने उपरोक्त कानूनी स्थिति को नजर अंदाज कर निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलान्ट पक्ष के गवाहान के साथ मोहनी देवी की ओर से कोई जिरह नहीं हुई इस कारण अपीलान्ट पक्ष की साक्ष्य अकाट्य रही है। आलौच्य निर्णय व डिक्री में पक्षकारान की शपथपूर्वक साक्ष्य पर कोई विधिक विवेचना नहीं की। इस कारण विचाराधीन निर्णय व डिक्री खारिज होने योग्य है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचाराधीन प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.01.2023 खारिज की जाकर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 मोहनी देवी का दावा खारिज किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान जमाबन्दी संवत 2068–71 खाता संख्या 55 ग्राम रामनगर (प्रदर्श–1) में ताराचन्द मनोहर हनुमान पि. फुला कौम जांगिड़ ब्राह्मण सा.ढाणी खातीयान तन बड़ाऊ खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि पैत्रिक है जो खातेदार फुला के देहान्त पश्चात विरासत में ताराचन्द मनोहर हनुमान पि. फुला को मिली है। वादिया की ओर से सरपंच ग्राम पंचायत बड़ाऊ द्वारा स्व.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

फुला के वारिसान का प्रमाण पत्र (प्रदर्श–2) प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार स्व. फुला पुत्र स्व. गंगूराम जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी ढाणी खातीयान तन बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज. के कुल 7 संतान थी जिसमें ताराचन्द, मनोहर, हनुमान पुत्रान स्व. फुला तथा स्व. शांति देवी, मोहनी देवी, गुलाब देवी, सरस्वती देवी पुत्रियां स्व. फुला है। इस प्रकार वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 स्व. फुला के विधिक वारिस है। स्व. फुला के देहान्त पश्चात उक्त वादग्रस्त भूमि में वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक का हिस्सा निहित है। लेकिन स्व. फुला के विधिक वारिसान की बिना जांच किये उक्त वादग्रस्त भूमि केवल उनके पुत्र संतान प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम ही दर्ज करदी वादग्रस्त भूमि वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 हकपूर्वाधिकारी स्व. फुला के खातेदारी काश्तकारी की भूमि रही है उक्त स्व. फुला के देहान्त पश्चात उक्त वादग्रस्त भूमि वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी काश्तकारी में घोषित किया जाना न्यायोचित है। चूंकि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 ने उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 6 बैंक के यहां रहन कर रखी है प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के हिस्से में बंटवारे में प्रस्तावित भूमि को बैंक के रहन रखा जाना ही तहसीलदार खेतड़ी द्वारा प्रस्तावित किया जावे, जिससे बैंक का हित प्रतिकूल प्रभावित ना हो सकें। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान जमाबन्दी संवत 2068–71 खाता संख्या 55 ग्राम रामनगर (प्रदर्श–1) में ताराचन्द मनोहर हनुमान पि. फुला कौम जांगिड़ ब्राह्मण सा.ढाणी खातीयान तन बड़ाऊ खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि पैत्रिक है जो खातेदार फुला के देहान्त पश्चात विरासत में ताराचन्द मनोहर हनुमान पि.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

फुला को मिली है। वादिया की ओर से सरपंच ग्राम पंचायत बड़ाऊ द्वारा स्व. फुला के वारिसान का प्रमाण पत्र (प्रदर्श–2) प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार स्व. फुला पुत्र स्व. गंगूराम जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी ढाणी खातीयान तन बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज. के कुल 7 संतान थी जिसमें ताराचन्द, मनोहर, हनुमान पुत्रान स्व. फुला तथा स्व. शांति देवी, मोहनी देवी, गुलाब देवी, सरस्वती देवी पुत्रियां स्व. फुला है। इस प्रकार वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 स्व. फुला के विधिक वारिस है। स्व. फुला के देहान्त पश्चात उक्त वादग्रस्त भूमि में वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक का हिस्सा निहित है। लेकिन स्व. फुला के विधिक वारिसान की बिना जांच किये उक्त वादग्रस्त भूमि केवल उनके पुत्र संतान प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम ही दर्ज करदी वादग्रस्त भूमि वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 हकपूर्वाधिकारी स्व. फुला के खातेदारी काश्तकारी की भूमि रही है उक्त स्व. फुला के देहान्त पश्चात उक्त वादग्रस्त भूमि वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी काश्तकारी में घोषित किया जाना न्यायोचित है। चूंकि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 ने उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 6 बैंक के यहां रहन कर रखी है प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के हिस्से में बंटवारे में प्रस्तावित भूमि को बैंक के रहन रखा जाना ही तहसीलदार खेतड़ी द्वारा प्रस्तावित किया जावे, जिससे बैंक का हित प्रतिकूल प्रभावित ना हो सकें। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर